भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2795
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन

2795. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री भोजराज नाग:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री तापिर गाव:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री जय प्रकाश:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री दुलू महतो:
श्री विजय बघेल:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री नलिन सोरेन:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री बलभद्र माझी:
डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री जुगल किशोर:
श्री नव चरण माझी:
श्री अरुण गोविल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएमजी) में परिवर्तन के लिए तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है;
(ख) वीबी-जी राम जी समय-सीमा और चरणबद्ध कार्यान्वयन की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार योजना क्या है;
(ग) क्या मनरेगा से वीबी-जी राम जी में परिवर्तन की चुनौतियों की पहचान करने के लिए चयनित जिलों में कोई फीडबैक या प्रायोगिक मूल्यांकन किया गया है;
(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों और प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है कि मौजूदा मनरेगा के लाभार्थियों को परिवर्तन के दौरान रोजगार की गारंटी और समय पर मजदूरी मिलती रहे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गाारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 37 परिवर्तनकालीन प्रावधानों से संबंधित है जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सृजित होने वाले कार्यों, देनदारियों, परिसंपत्तियों, अभिलेखों, निधियों, दायित्वों आदि को शामिल किया गया है।

मंत्रालय मनरेगा से वीबी-जी राम जी संरचना में सुचारू और व्यवस्थित परिवर्तन की सुविधा के लिए परिवर्तनकालीन प्रावधानों से संबंधित विस्तृत नियम बना रहा है।

परिवर्तनकालीन प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं कि जो श्रमिक वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत मजदूरी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बिना किसी व्यवधान के वीबी-जी-राम-जी अधिनियम के तहत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार मिलता रहे।

****